22/01/25	पत्रावली मूल दावा निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत हुई। चूंकि मूल दावा निरस्त करवाया जा चुका है अतः अपील लगाना न्यायोचित कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा खारिज होने योग्य है। अतः अपील लगाना खारिज किया जाता है। अपील पंजिका मुताबिक नंबर से कम हो।	कालूसिंह पटवारी Suman Meena

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

Scanned with CamScanner